बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/एफ 1–11/2023– **पटना, दिनांक–**

यू० के० इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम+पो०–खरहर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड– 843117 को डी० फार्म० पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम संचालन के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सचिव, उदय किरण एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी के पत्र के आलोक में संस्थान की आधारभूत संरचना की जॉच/निरीक्षण एव पी०सी०आई०, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप संस्थान में आवश्यकताओं/उपलब्धताओं का आकलन करने हेतु विभागीय आदेश संख्या–1006(17) दिनांक–04.10.2023 द्वारा जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा संस्थान की जॉच कर दिनांक–19.12.2023 को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में सस्थान की जाँच हुए लगभग तीन वर्ष हो गये हैं। अतः संस्थान में वर्तमान में उपलब्ध संस्थानों की पुनः जाँच हेतु निम्नवत् जॉच टीम गठित की जाती है :–

1. डा० अनिल कुमार – अध्यक्ष
   अपर निदेशक,
   स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
2. विभागाध्यक्ष, – सदस्य
   फार्माकोलॉजी विभाग,
   श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
3. जिला पदाधिकारी, – सदस्य
   मुजफ्फरपुर द्वारा नामित प्रतिनिधि।

समिति को निदेशित किया जाता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों/मानकों के आलोक में अविलंब जॉच/निरीक्षण करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। मामला न्यायालीय वाद से आच्छादित है।

उक्त में सक्षम प्राधिकार अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–17/एफ 1–11/2023– 1330(17) **पटना, दिनांक–** 09.10.26

प्रतिलिपि :– समिति के अध्यक्ष एव सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि किसी वरीय पदाधिकारी को जॉच समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– सचिव, उदय किरण एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, पत्राचार का पता–प्राईमस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल, ऐनी बेसेंट रोड, नियर पटना कॉलेज, पिलर नं०–54, जिला–पटना, पिन कोड–800004 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।